

सं०-ए० 19011/01(01)/2019/स्था०-एक/1350-1400

भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
स्थापना-एक अनुभाग
Estt.I Section

तृतीय तल (द०), सेवा भवन
3rd Floor (S), Sewa Bhawan
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
R.K. Puram, New Delhi-110066
दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019
Dated: the 23rd October, 2019

—: कार्यालय आदेश :—

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री अरुण कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, दिनांक: 31/10/2019 (अपरान्ह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जायेंगे ।

जांच-सूचना/2310-2019
(संजय सिंह चौहान)

अवर सचिव, स्थापना-एक अनुभाग,

प्रतिलिपि:-

- 1- निजी सचिव, मा० मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, न० वि० एवं गं० सं० विभाग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, न० वि० एवं गं० सं० विभाग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
- 3- सचिव (जल शक्ति मंत्रालय, ज०सं०, न०वि० एवं गं०सं० विभाग), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
- 4- श्री अरुण कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 31/10/2019 को अपना कार्यभार सौंपने का रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
- 5- प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 6- जल शक्ति मंत्रालय, न०वि० एवं गं०सं०, (अवर सचिव, प्रशा०/स्था०-एक) नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग , श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
- 7- प्रधान निजी सचिव, सदस्य (डीएण्डआर)/डब्ल्यूपीएण्डपी/आरएम, के०ज०आ०, नई दिल्ली ।
- 8- सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग ।
- 9- सचिव/निदेशक (प्रशासन/स्थापना)/प्रशिक्षण/पी०सी०पी०/तकनीकी प्रलेखन/तकनीकी समन्वय/ अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजन एवं परियोजना/नदी प्रबंधन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 10- वे०एवंले०/स०ले०/सभी अवर सचिव/उपनिदेशक (डब्ल्यू०पी०सी०)/पी०सी०पी०/उपनिदेशक (राजभाषा)/सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 11-अनुभागअधिकारी(लेखा-तीन/चार)/सीआर/बजट/स्था०-चार/स्था०-आठ/सीएमएण्डवी/ओएम/आरएण्डआई, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को के०ज०आ० के ओ०एम० नं० F.No. 12/94/2012-O&M/1574 dated 07.11.2016 के संदर्भ में । उनसे अनुरोध है कि वे के०ज०आ० की वेबसाइट पर उपलब्ध किये गये 'अनादायगी प्रमाण पत्र' पर संबंधित अधिकारी के पक्ष में भर कर स्थापना-एक अनुभाग, के०ज०आ० को 10 दिनों के अंदर भेज देने का कष्ट करें अन्यथा यह मान लिया जायगा कि संबंधित अधिकारी पर किसी प्रकार के कोई भी बकाया शेष नहीं है ।
- 12- सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी हेतु ।
- 13- स्था०-एक, के०ज०आ० की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु ।
- 14- कार्यालय आदेश फोल्डर ।

*मुखर्जी-